महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

क्रमांक:–प्रशिक्षण / प्रहरी / 2013 / 61469–75 दिनांक :– **28.03.2013**

स्थायी आदेश क्रमांक:प्रशिक्षण / 04 / 2013

विषय :– नव नियुक्त प्रहरी का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

पूर्व प्रसारित आदेशों के अतिक्रमण में सीधी भर्ती द्वारा नव नियुक्त प्रहरी वर्ग का 4 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम **"प्रहरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)"** संलग्न परिशिष्ट के अनुसार आयोजित किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ली जायेगी।

प्रशिक्षण समापन पर परीक्षा हेतु गठित बोर्ड निम्नानुसार होगा :–

1. महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत–उप महानिरीक्षक कारागार अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी–**अध्यक्ष**
2. महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत–अधीक्षक ग्रेड–प्रथम अथवा अधीक्षक ग्रेड–द्वितीय स्तर का अधिकारी–**सदस्य**
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अंजमेर–**सदस्य–सचिव**

प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा के भाग तथा उनके लिये पूर्णांक निम्न प्रकार हैं :–

I. बाह्य (आउटडोर) परीक्षा–300 पूर्णांक

क.सं.	विषय	पूर्णांक
1.	पी.टी.	100
2.	ड्रिल (अ) बिना हथियार ड्रिल 40 पूर्णांक (ब) हथियार सहित 40 पूर्णांक (स) लाठी ड्रिल 20 पूर्णांक	100
3.	फायरिंग	100

II. आन्तरिक (इन्डोर) विषय परीक्षा–350 पूर्णांक

क.सं.	विषय	पूर्णांक
1.	कारागार परिचय एवं नियम	50
2.	कारागार कार्य प्रणाली	50
3.	समाज शास्त्र,अपराध शास्त्र एवं अपराधिक मनोविज्ञान	50
4.	आचरण एवं सेवा शर्तें	50
5.	संविधान, न्याय–व्यवस्था, मानवाधिकारी एवं बंदी कल्याण	50
6.	स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा	50

7.	कम्प्यूटर उपयोग	50

III आन्तरिक मूल्यांकन (प्राचार्य द्वारा)–50 पूर्णांक

क.सं.	विषय	पूर्णांक
1.	परिश्रम, कार्य के प्रति रूचि, निष्ठा, अनुशासन एवं आचरण का प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन	25
2.	स्व–अध्ययन पर आधारित निबंध (प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर प्राचार्य द्वारा निबंध का विषय आवंटित किया जायेगा जिस पर आलेख 3 माह में प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाये)	25

नोट :–

अ. आन्तरिक विषय परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 से 6 तक की परीक्षा अवधि 1–1 घण्टा तथा प्रश्न पत्र संख्या 7 की केवल प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसकी अवधि 30 मिनट होगी।

ब. प्रशिक्षणार्थियों को गठित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा समग्र परीक्षा में सफल होने के लिए 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।

स. प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण समापन परीक्षा में असफल होने पर उसे पुनः परीक्षा में भाग लेने का एक और अन्तिम अवसर दिया जायेगा इसमें भी असफल होने पर परिवीक्षाकाल में प्रशिक्षणार्थी का कार्य असंतोषजनक मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्ति योग्य होंगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

संलग्न : परिशिष्ट

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर
2. अति0 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर
3. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
5. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर–स्थायी आदेश पत्रावली में रखने हेतु
6. रक्षक पत्रावली

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

परिशिष्ट-

प्रहरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

बाह्य (आउटडोर)

I पी.टी. प्रति दिवस 1 कालॉश

2.4 किलोमीटर दौड़ तथा फ्री हैण्ड एवं 5 बी.एक्स.की टेबल 1,2,3
उपरोक्त के साथ निम्नांकित भी कराये जायें :–

- काठ का घोड़ा(वुडन होर्स), फ्रन्ट रोल/बैक रोल, चिन अप्स, सिट अप्स,
- रस्सी पर चढ़ना
- योगासन (सामान्य आसन)
- प्राणायाम

II ड्रिल

1.खाली हाथ (50 कालॉश)

- सावधान, विश्राम आराम से
- तेज चाल, दौड़ के चल, धीरे चल, कदमों का फासला एवं कदमों की चाल प्रतिमिनट
- खड़े हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें देख
- चलते हुए दाहिने मुड़, बायें मुड, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें सेल्यूट
- खड़े हुए सामने सेल्यूट
- फासले से सजना, बिना फासले सजना, लाईन बनाना, गिनती करना, एक लाईन में खड़े होना, दो लाईन में खड़े होना, तीन लाईन में खड़े होना, खुली लाईन, निकट लाईन विसर्जन होना, मार्च करना, थमना, छोटा कदम, लम्बा कदम, तेज चाल से दौड़ के चल, दौड़ के चल से तेज चल, कदम ताल, दौड़ के कदम ताल, कदम बदलना, तेज चाल से धीरे चाल, धीरे चाल से तेज चाल, स्क्वाड बना एवं दिशा बदल की कार्यवाही
- प्लाटून में खड़े होने का तरीका, प्लाटून में कॉलम एवं लाईन का ज्ञान
- विभिन्न अधिकारियों को सलामी के नियम
- राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सेल्यूट एवं प्रातःकाल एवं सायंकाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा कारागार के मेन गेट को खोलने व बंद करने संबंधी नियम
- विभिन्न रेंक की वर्दी एवं सोल्डर डेकोरेशन की जानकारी
- वर्दी संबंधी विभागीय नियम एवं वर्दी पहनने का तरीका

2.ड्रिल **हथियारों के साथ** **(70 कालॉश)**

- 410 बोर मस्कट/303 बोर राईफल के साथ उपरोक्त बिन्दुओं की ड्रिल
- शस्त्र के साथ सावधान, विश्राम, आराम से, कंधे शस्त्र, बाजू शस्त्र, बगल शस्त्र, समतोल शस्त्र, तोल शस्त्र, बायें शस्त्र, ऊँचा बायें शस्त्र, जाँच शस्त्र, भूमि शस्त्र, उठाव शस्त्र, सलामी शस्त्र
- बट सेल्यूट, सलामी शस्त्र एवं जनरल सेल्यूट
- संगीन लगाना एवं संगीन उतारना
- राईफल के पुर्जों के नाम एवं उनके कार्य
- राईफल की सफाई एवं रख-रखाव का महत्व
- शस्त्रों के पार्ट गुम होने अथवा क्षति पहुँचाने पर उसके दण्ड की जानकारी

3. लाठी ड्रिल एवं बलवा नियंत्रण (15 कालॉश)
4. सेरिमोनियल ड्रिल 30 कालॉश

III मस्केट्री एवं **फायरिंग** **10 कालॉश**

1.मस्केट्री

- मस्कट 410 बोर राईफल नं0 1 मार्क III 303 बोर एवं राईफल नं0 2 मार्क IV 22 बोर की पूर्ण जानकारी
- राईफल के पुर्जों को खोलना व जोड़ना
- राईफल की सफाई का तरीका, सफाई में काम आने वाली वस्तुओं की जानकारी
- फायरिंग का तरीका, सिस्त लगाना, राईफल लोड/अनलोड करना, टॉरगेट की जानकारी
- लेटी, बैठी एवं खड़े होकर फायर करना का तरीका
- फायरिंग रेंज पर दिये जाने वाले समस्त आदेशों का पूर्वाभ्यास एवं रेंज पर अपनाये जाने वाले समस्त सुरक्षा प्रबन्धों की जानकारी

2.फायरिंग 20 कालॉश

- राईफल नं0 2 (22 बोर) एवं मस्कट 410 से फायरिंग

IV यू0ए0सी0 **30 कालॉश**

- शरीर के नाजुक अँगों की पहचान
- डिसेबलिंग ब्लोज
- पकड़ना/छुड़ाना
- पिस्तौल/चाकू से बचाव
- हाथ/लात का प्रहार

(नोट : यू0ए0सी0 और मस्केट्री का प्रशिक्षण दोपहर पश्चात् दिया जायेगा)

आन्तरिक (इन्डोर)

1. कारागार परिचय एवं नियम (कुल कालॉश :45)

1. **कारागार परिचय एवं पृष्ठभूमि** **(4 कालॉश)**

- कारागार का सामान्य अर्थ एवं परिभाषा
- एक बंद संस्था स्वरूप में कारागार का आरम्भ
- अपराध निरोधक के रूप में कारागार की भूमिका
- कारागारों के प्रति जनधारणा
- कारागारों का देश–विदेश में 1894 तक विकास
- प्रिजन एक्ट बनाये जाने की आवश्यकता एवं संक्षिप्त पृष्ठ भूमि, कारागार सुधार सलाहकार समितियों 1836, 1885 एवं 1892 संक्षिप्त परिचय एवं प्रिजन एक्ट निर्माण प्रक्रिया, स्वीकृति व घोषणा
- राजस्थान कारागार नियम 1951 पार्ट, सेक्शन एवं नियमों में शामिल विषयों की मोटी–मोटी रूपरेखा एवं उद्देश्य

1.2. **कारागारों का वर्गीकरण तथा राज्य में विभिन्न कारागृहों के बारे में सामान्य जानकारी** **(5 कालांश)**

- केन्द्रीय कारागृह
  प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत संरचना
  मण्डलीय कारागृह की दृष्टि से प्रशासनिक व व्यवस्थागत क्षेत्राधिकार
  निरूद्ध रखे जाने वाले बंदियों का प्रकार एवं प्रकृति अनुसार आवंटन
  कारागृह "ए" एवं कारागृह "बी" श्रेणी का भेद व आशय
  व्यवस्थागत न्यूनतम अपरिहार्यताएँ
- जिला कारागृह– "ए" एवं "बी" श्रेणी
  स्थापना का मुख्यालय व प्रशासनिक संरचना
  रखे जाने वाले बंदियों की प्रकृति एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार
- उप कारागार
  स्थापना केन्द्र अथवा मुख्यालय, न्यायिक क्षेत्राधिकार
  प्रशासनिक संरचना व नियन्त्रणाधिकारी
  रखे जाने वाले बंदियों की प्रकृति
- महिला बंदी सुधारगृह
  विकास की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  कारागृह स्तर, कुल संख्या एवं संरचनात्मक ढ़ांचा
  पृथक से स्थापित सुधार गृहों का उद्देश्य एवं विकास, महत्ता
- किशोर बंदी सुधार गृह
  संरचनात्मक स्वरूप एवं प्राथक्य का कारण
  जुवेनाईल जस्टिस एक्ट 1988– संक्षिप्त परिचय

पृथक स्थापित सुधार गृह मुख्यालय, उद्देश्य, विकास एवं महता, वर्तमान में व्यवस्थागत नवीनतम विकास व विस्थापन—कारण व समाधान

- बंदी खुले शिविर
  मूलभूत अवधारणा एवं विकास पृष्ठभूमि संक्षिप्त इतिहास
  अवधारणा जिसमें राजस्थान कारागार विभाग देश भर में अग्रणी राज्य—क्यों और कैसे ?
  कुल कितने शिविर, कहॉ—कहॉ स्थापित ?
  पृथक—पृथक शिविरों का स्वरूप, संरचना एवं प्रशासनिक नियन्त्रण व्यवस्था
  शिविरों पर बंदी आवास व रोजगार व्यवस्था
- नये प्रकार के कारागृहों की स्थापना
  उच्च सुरक्षा कारागृह
  दण्डित बंदी कारागृह

1.3. राज्य में कारागार प्रशासन का संगठनात्मक ढ़ांचा तथा विभिन्न पदों की जानकारी **(2 कालॉश)**

- प्रशासनिक संगठनात्मक ढ़ॉचे की आवश्यकता—अवधारणा एवं सामान्य परिचय
- संगठनात्मक ढ़ॉचे का स्वरुप
- विभागाध्यक्ष से प्रहरी पद तक का सोपान
- महानिदेशालय की प्रशासनिक संगठनात्मक संरचना
- पर्यवेक्षणीय क्षेत्रीय कार्यालयों का संगठनात्मक स्वरुप
- विभिन्न स्तर के कारागृहों की संगठनात्मक व्यवस्था

1.4. कारागार भवनों का स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भवनों की विशेषताएं एवं आवश्यकताएं **([illegible] कालांश)**

- कारागार भवन का घोषित होना (सम्बधित नियम)
- कारागार भवनों के निर्माण में सुरक्षा का दृष्टिकोण तथा भूमि की उपयुक्ता
- कारागार भवनों का स्वरूप अथवा बनावट
- गेट, मेनवाल, वार्ड, बैरिक, सुरक्षा सेल का स्वरूप और उनके मानक
- भवनों में अन्य व्यवस्थाएं : भोजन शाला, मनोरंजन एवं खेल क्षेत्र
- पानी व बिजली की व्यवस्था, कार्यालय, गोदाम
- विशेष कारागृह भवनों में अन्य आवश्यकताएं : उद्योगशाला, केच, वॉच टॉवर आदि
- कारागार परिसर एक प्रतिबन्धित क्षेत्र
- कारागार का बाहरी परिसर
- कार्मिको के आवासगृह, प्रहरी लाईन व बैरेक्स
- कारागार भवन निर्माण / मरम्मत के समय सुरक्षा व्यवस्थाएं
- कारागार भवन निर्माण में मरम्मत की प्रक्रिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमिका तथा समन्वय

1.5. **बंदी वर्गीकरण तथा विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिये की जाने वाली व्यवस्थाएं** **(5 कालॉश)**

- कारागृह में प्राप्त बंदी का न्यायालय द्वारा वर्गीकरण
- कारागृह में बंदियों के वर्गीकरण के कारण
- विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिये नियमों द्वारा वॉछित **वर्गीकरण, कारागार** विभाग के विशेष दायित्व, साक्षात्कार एवं अन्य विशेष व्यवस्थाएं

  पुरूष एवं महिला बंदी
  अभ्यस्त आपराधिक बंदी
  सिविल बंदी
  निरूद्ध बंदी (डेटेन्यू)
  मानसिक रोगी एवं पागल रोगी
  मृत्युदण्ड से दण्डित बंदी
  किशोर बंदी
  जघन्य अपराध वाले बंदी
  छूत की बीमारी वाले बंदी
  साधारण कारावास से दंडित बंदी
  कठोर कारावास से दंडित बंदी

1.6. कारागार पर **गेट व्यवस्था** **(7 कालॉश)**

- कारागार के मुख्य गेट, विकिट गेट की बनावट और इस बनावट का महत्व
- कारागार के मुख्य द्वार को खोले जाने की परिस्थितियॉ, प्रक्रिया और सावधानियॉ
- निषिद्ध सामग्री की रोकथाम में गेट का महत्व
- हेण्ड–हेल्ड एवं डोर मेटल डिटेक्टर आदि निषिद्व सामग्री का जॉच के उपकरणों की जानकारी
- कारागार बंद होने के पश्चात् रात्रि में कारागार गेट प्रबन्धन एवं नियंत्रण
- गेट से होने वाली प्रत्येक आमद–रफत का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण
- गेट पर्यवेक्षण के दौरान घटित या जानकारी में आये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी से सक्षम एवं उच्चाधिकारियों को अवगत करवाना
- सुरक्षाकर्मियों के ड्यूटी चढते–उतरते समय अनुशासन व नियन्त्रण की विशेष सर्तकताओं की पूर्ण जानकारी व व्यवहारिक क्रियान्वयन
- राशन सामग्री के प्रवेश पर जॉच व अभिलेख संबंधी विशेष सतर्कताऍ व क्रियान्वयन
- निर्माण व मरम्मत कार्यो संबंधी मजदूरों, निर्माण सामग्री एवं औजारों आदि की वांछित सतर्कता की पूर्ण जानकारी व क्रियान्वयन विधि आदि
- आपात् परिस्थितियों में गेट का प्रबन्धन
- विशिष्ट अवसरों व व्यक्तियों के आवागमन के समय विशेष प्रक्रियाओं व सर्तकता की जानकारी

- गेट मुख्य प्रहरी एवं गेट सहायक प्रहरी के कर्तव्य और गेट पर संधारित की जाने वाली पंजिकाएं एवं अभिलेख

1.7. **कारागार में निषिद्ध वस्तुए एवं इनके प्रवेश की रोकथाम** **(6 कालॉश)**

- निषिद्ध वस्तु का अर्थ एवं नियम
- वस्तुओं को निषिद्ध करने का अधिकार
- विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिये वस्तुओं को प्राप्त करने और रखने में अन्तर
- निषिद्ध वस्तुओं का कारागार में आने/लाने के तरीके
- निषिद्व वस्तुएं के प्रवेश की रोकथाम
- निषिद्व वस्तुओं की रोकथाम में सतर्कता, सजगता, सावधानीपूर्ण तलाशी लिये जाने का महत्व
- कारागार परिसर के द्वार पर तलाशी
- मुख्य द्वार पर तलाशी
- कारागार अन्दर तलाशी
- नग्न ऑखों से ली जाने वाली तलाशी
- उपकरणों से ली जाने वाली तलाशी
- तलाशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और उनका महत्व
- हैण्ड हैल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर मेटल डिटेक्टर, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, एन.एल.जे.डी
- क्लोज सर्किट टी.वी. क्या है और किस प्रकार तलाशी में महत्वपूर्ण साधन है ?
- तलाशी के टेक्ट : तलाशी में पारदर्शिता, प्रभावशील बन्दियों की तलाशी, खतरनाक बन्दियों की तलाशी ,नशेड़ियों की तलाशी
- तलाशी से प्राप्त निषिद्व वस्तुओं की जप्ती की प्रक्रिया, फर्द वनाना, जप्त सामान का निस्तारण
- तलाशी के प्रकार–नियमित एवं आकस्मिक, व्यक्तिशः, सामूहिक, सघन
- विभिन्न स्थानों की तलाशी में छुपाने के संभावित स्थान और उनकी तलाशी का तरीका
- आसूचना का महत्व और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके
- निषिद्व वस्तुओं की पहचान विशेषकर नशीले पदार्थ
- पुरूष कारागार पर महिला बन्दियों की तलाशी

1.8. **बंदी साक्षात्कार का महत्व एवं व्यवस्था** **(4 कालॉश)**

- मुलाकात का अर्थ, सिद्धान्त एवं व्यवहार
- बंदी मुलाकात का महत्व
- मुलाकाती की पात्रता
- मुलाकाती की पहचान एवं उसके प्रमाण
- मुलाकात पर्ची लेखक एवं उनकी भूमिका

- मुलाकाती पर्ची लेखक के चयन की प्रक्रिया एवं उचित चयन
- मुलाकाती पर्ची और उसमें की जाने वाली प्रविष्टयाँ
- मुलाकात पर्ची में अंकित प्रविष्टयों को चैक करना
- मुलाकात का निर्धारित स्थान
- निर्धारित स्थानों के अपवाद और उनका महत्व
- मुलाकात का समय एवं उसके अपवाद
- मुलाकातियों की तलाशी और निगरानी
- मुलाकाती द्वारा लाये जाने वाले सामान संबंधी नियम एवं निर्देश
- दण्डित बंदी मुलाकात के नियम एवं उसके अपवाद
- विचाराधीन बंदी मुलाकात के नियम एवं उसके अपवाद
- विशेष वर्ग के बन्दियों के मुलाकात के नियम :(i) एन.एस.ए. (ii) पी.ए.एस.ए. (iii) दूसरे राज्य के विशेष बन्दियों के मुलाकात के नियम
- गैर सरकारी दर्शकों द्वारा की जाने वाली मुलाकात का संक्षिप्त विवरण
- मुलाकात पंजिका एवं इसकी प्रविष्टियाँ और महत्व
- मुलाकाती सामान पंजिका की प्रविष्टियाँ और महत्व
- बंदी की ओर से प्रेषित पत्र का सेन्सर और उसकी प्रविष्टी
- लेखन सामग्री का उपलब्ध कराया जाना
- बंदी को प्राप्त होने वाले पत्र और उसका सेन्सर
- Rajsthan Prison Rule -1951- Part-22 खण्ड II में क्या प्रावधान है क्रम वार पढ़ाना
- काउन्सलर एक्सेस की सामान्य जानकारी

1.9. बंदी मैस व्यवस्था (2 कालांश)

- लंगर क्या है, किस प्रकार कार्य करता है और क्या कार्य करता है
- लांगरी बंदियों का चयन
- लंगर का कारागार खुलने से पूर्व खोला जाना और लंगर के साथ बंदी निगरानी
- लंगर में प्रयुक्त खतरनाक उपकरणों की निगरानी
- गैस गौदाम की सुरक्षा
- लंगर की सफाई व्यवस्था
- बंदी मैस व्यवस्था से संबंधित नियम (पार्ट 9)
- राशन सामग्री का आंकलन, प्राप्ति, भण्डारण, ईश्यू, उपयोग एवं इसकी ज़िम्मेदारी
- रसोई घर *(नियम 66)*
- रसोइयों का चयन एवं भोजन पकाना *(नियम 67)*
- श्रमिक एवं अश्रमिक बंदी के आहारों का पृथक्करण *(नियम 68)*
- रसोईघर का प्रभार *(नियम 71)*

- भोजन का वितरण– समय एवं स्थान का निर्धारण अधीक्षक द्वारा *(नियम 72)*
- जेल अधिकारियों का उत्तरदायित्व *(नियम 74)*
- विभिन्न प्रकार की भोजन की स्केल *(नियम 31)*

1.10. **बंदी किट** **(1 कालॉश)**

- बंदी किट का अर्थ
- पात्रता एवं स्केल
- किट के अभाव में वैकल्पिक व्यवस्था
- बंदी द्वारा किट का रख–रखाव

1.11. कारागार **में बंदी प्रवेश तथा** रिहाई **(1 कालॉश)**

- वारन्ट का अर्थ
- वारन्ट में अंकित सूचनाएं और उनका महत्व
- प्रवेश पंजिका, वान्टेड पंजिका, मेडिकल परीक्षण
- जमानत पर रिहाई, सजा पूर्ण होने पर रिहाई की सामान्य जानकारी

1.12. न्यायालय में **साक्ष्य देने/अवमानना के संबंध में सामान्य जानकारी (2 कालॉश)**

- न्यायालय की अवमानना का कानून
- न्यायालय के आदेशों की पालना
- साक्ष्य देने का तरीका और सावधानियाँ

2. कारागार कार्य प्रणाली **(कुल कालॉश : 45)**

2.1. कारागृह का परिवेश **(6 कालॉश)**

- बंदियों की सामान्य मनोदशा
- बंदियों के गिरोहों का गठन एवं उनका नियंत्रण
- कारागृह में उपस्थित खतरे
- खतरों के आंकलन का तरीका
- प्रहरी के गुण एवं क्षमताऐं

2.2. प्रहरी के सामान्य कर्तव्य **(8 कालॉश)**

- ड्यूटी पूर्व तैयारी की आवश्यकता
- कार्यभार लेने और देने की प्रकिया और सावधानियाँ
- प्रहरी के ड्यूटी क्षेत्र एवं स्थान
- बंदी वार्ड पर ड्यूटी संपादन
- उद्योगशाला ड्यूटी
- भोजनशाला ड्यूटी

- फरारी की रोकथाम के लिये सामान्य कार्य
- बंदियों की गणना का तरीका
- बंदी आवागमन का नियंत्रण
- बंदी एवं क्षेत्र तलाशी
- बंदी गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण
- शौच एवं सफाई संबंधी दायित्व
- सम्पत्ति एवं व्यक्ति सुरक्षा का दायित्व
- अधिकारियों को सूचना देने का दायित्व

2.3. क्वार्टर गार्ड (3 कालांश)

- क्वार्टर गार्ड का अर्थ एवं नियोजित कर्मी
- प्रोटोकोल एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व
- सामान्य एवं आपात परिस्थितियों में कार्य
- कारागृह पर व्यक्ति अथवा विभिन्न प्रकार की सामग्री से संभावित खतरे से निपटने में क्वार्टर गार्ड की भूमिका

2.4. कारागृह खोलना एवं बंद करना (6 कालॉश)

- कारागार बंद करने से तात्पर्य एवं इसका महत्व
- कारागार बंद करते समय सावधानियां एवं तैयारी
- कारागार खोलने से तात्पर्य एवं इसका महत्व
- कारागार खोलते समय की सावधानियाँ एवं तैयारी
- विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका

2.5. आपात्कालीन परिस्थितियॉ (5 कालॉश)

- बंदी सुरक्षा का अर्थ
- प्रहरी बंदी सुरक्षा का दायित्व और दायित्व निर्वहन का तरीका
- आपात् परिस्थितियॉ क्या–क्या हैं ?
  बाहर से हमला
  बंदी की गंभीर बीमारी और अन्य चिकित्सकीय आपात्कालीन परिस्थिति
  आपसी झगड़ा एवं हिंसा
  कारागार अधिकारियों पर हमला
  बंदियों के समूह द्वारा अनुशासनहीनता
  फरारी की तैयारी, प्रयास अथवा घटना
  आत्महत्या अथवा आत्म हत्या का प्रयास
  घातक हथियार की उपलब्धता
  प्राकृतिक विपत्ति यथा भूकम्प, आग, भवन का ढ़हना आदि
- गेट व गेट क्षेत्र में आपात परिस्थितियॉ
- विभिन्न आपात् परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न स्थान पर नियोजित कर्मियों का दायित्व तथा नियंत्रण के तरीके
- केस स्टडी

2.6. बंदी आचरण, नियंत्रण एवं कारागार दण्ड **(4 कालॉश)**

- बंदी के आचरण के नियम
- नये बंदी को आचरण के नियमों से अवगत कराने का महत्व एवं दायित्व
- बंदी द्वारा लॉकिंग, अनलॉकिंग, पेशी पर जाने–आने, भोजन वितरण, साप्ताहिक परेड, तलाशी, साक्षात्कार, चिकित्सालय, सामान्य आवागमन, उद्योगशाला, बंदी गणना, किट की देखरेख, मनोरंजन के साधनों के उपयोग आदि के लिये अनुशासन के कायदे तथा उनका पालन करवाने की तरीके
- कारागार अपराध व दण्ड

कारागार अपराध क्या है ?

कारागार दण्ड और दण्ड का अधिकार

किस प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं तथा उनके संबंध में न्यायालयों के निर्णय

- दण्ड देने का तरीका एवं अभिलेख में अंकन
- अन्य व्यवहारिक दण्ड, सुविधा से वंचित करना, सामूहिक दण्ड
- दण्ड तथा उसके प्रभाव पर परिचर्चा

2.7. बल प्रयोग **(3 कालॉश)**

- बल प्रयोग क्या है ?
- न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग का सिद्धान्त
- परिस्थितियॉं जिनमें बल प्रयोग वर्जित है।
- परिस्थितियॉं जिनमें बल प्रयोग किया जा सकता है।
- सक्षम अधिकारी
- केस स्टडी

2.8. सी0 ओ0 / सी0 एन0 डब्ल्यू0 का चयन एवं नियंत्रण (1 कालॉश)

- सी.ओ. / सी.एन.डब्ल्यू. की व्यवस्था का महत्व
- पात्रता,नियुक्ति एवं हटाना
- कर्तव्य
- विशेषाधिकार
- सी.ओ. / सी.एन.डब्ल्यू. का प्रहरी द्वारा नियंत्रण एवं उपयोग

2.9. रात्रिकालीन ड्यूटीज़ **(2 कालॉश)**

- रात्रिकाल का अर्थ
- रात्रिकालीन ड्यूटीज के संबंध में कारागार मेन्युअल के प्रावधान
- मेनवाल, बैरिक्स पर व कारागार के बाहर रात्रिकालीन ड्यूटीज़
- रात्रिकालीन ड्यूटीज़ के समय प्रहरी के कर्तव्य
- रात्रिकालीन ड्यूटीज़ के समय मुख्य प्रहरी के कर्तव्य (कारागार के अ. गेटकीपर के कर्तव्य)
- रात्रिकालीन ड्यूटीज के समय कारापाल के कर्तव्य
- रात्रिकालीन गश्त की प्रक्रिया जिसमें नियमित व आकस्मिक गश्त शामिल है

- रात्रिकालीन गश्त का समय क्या हो ?
- रात्रिकाल में बैरक बंद होने पर, बंदी बीमार होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में कारागृह तलाशी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में बैरिक में झगडा हो जाये या अन्य संदिग्ध गतिविधि हो तो उस दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में बंदी अन्य कारागृह से आये व अपनी कारागृह का बंदी बाद पेशी लौटे तो अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
- रात्रि में कारागृह के अंदर का पहरा खाली हो उस समय अपनायी जाने वाली सावधानिया
- रात्रि में फरारी या फरारी प्रयास होने पर अपनाई जानेवाली प्रक्रिया

2.10. फरारी की रोकथाम (5 कालॉश)

- कारागृह से फरारी का अर्थ एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान
- फरारी में सहयोग का अर्थ
- फरारी रोकने का दायित्व
- फरारी होने पर प्रतिकिया एवं कार्यवाही
- फरारशुदा बंदी का रख–रखाव एवं निगरानी
- केस स्टडी

3. समाज शास्त्र, अपराध शास्त्र एवं अपराधिक मनोविज्ञान (कुल कालॉश : 45)

3.1. समाज शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व (3 कालॉश)

- समाज शास्त्र की स्थापित परिभाषाऐं।
  समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में
  समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में
  समाज शास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में
  समाज शास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं के अध्ययन के रूप में
- समाज शास्त्र का विषय–क्षेत्र
  स्वरूपात्मक अथवा विशिष्ठात्मक सम्प्रदाय
  समन्वयात्मक सम्प्रदाय
- समाज शास्त्र का महत्व
  मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक
  नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक
  समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने सहायक
  सामाजिक परम्पराओं के अध्ययन में उपयोग
  सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक

पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक

राष्ट्रीय एकता व अखण्डता बनाये रखने में समाज शास्त्र का योगदान

3.2. **कारागृहों में बंदियों के मध्य समूह निर्माण के कारण व इसके प्रभाव (4 कालॉश)**

- समूह की परिभाषायें।
- सामाजिक समूह की विशेषताएँ : व्यक्तियों का समूह,सामान्य उद्देश्य, कार्य विभाजन, समूह में एकता, ऐच्छिक सदस्यता, स्तरीकरण, सामूहिक आदर्श, स्थायित्व , संरचना (ढांचा), परस्पर सामाजिक संबंध
- कारागृहों में बंदियों के मध्य समूह निर्माण के कारण

  क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर

  धर्म के आधार पर

  जाति के आधार पर

  कारागृह में आंवटित कार्य की प्रकृति के आधार पर

  आयु के आधार पर

  सजा के आधार पर

  अपराध की प्रकृति के आधार पर
- समूह निर्माण के कारागार प्रशासन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव

  कारागार व्यवस्था का सुव्यवस्थित चलना

  समूह अनुशासन को प्रोत्साहन

  बंदियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना

  सजा अवधि का आसानी से कट जाना

  बंदियो में नेतृत्व की क्षमता का उत्पन्न होना

  बंदियों में आत्मविश्वास का बढ़ना

  कारागृह प्रशासन पर सकारात्मक प्रभाव
- समूह निर्माण के कारागार प्रशासन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव

  कारागार व्यवस्था पर दबाव आना

  बंदियों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होना

  बंदियों में नकारात्मक सामाजीकरणं की संभावना

  बंदियों के बीच प्रतिद्वन्दिता व संघर्ष की संभावना

  ताकतवर बंदियों का प्रभुत्व

  साधारण बंदियों में असुरक्षा की भावना

3.3. सामाजीकरण : परिभाषा, संस्थाऐं, महत्व (2 कालॉश)

- सामाजीकरण का सामान्य अर्थ
- स्थापित परिभाषाऐं
- सामाजीकरण : एक आजीवन चलने वाली प्रकिया

- सामाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्थाऐं : परिवार, समाज, **पड़ौस, प्ले समूह**, शादी, शिक्षण संस्थाऐं, व्यावसायिक समूह
- सामाजीकरण का मनुष्य के जीवन में महत्व विशेष रूप से कारागृहों में बंदियों के परिपेक्ष्य में

3.4. सामाजिक **नियत्रंण : अर्थ एवं संस्थाऐं** **(3 कालॉश)**
- सामाजिक नियंत्रण का सामान्य अर्थ
- सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाऐं
- सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता
- सामाजिक नियंत्रण की संस्थाऐं : परिवार, प्रथा एवं जनमत, धर्म और नै. तिकता, कानून एवं सामाजिक संगठन

3.5. सामाजिक **विघटन** **(3 कालॉश)**
- सामाजिक विघटन का सामान्य अर्थ
- सामाजिक विघटन की स्थापित परिभाषाऐं
- सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां : **तीव्र सामाजिक** प. रवर्तन, सांस्कृतिक विलम्बना, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, आर्थिक कारण, आधुनिकीकरण, भौतिकवाद
- सामाजिक विघटन के परिणाम स्वरूप सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव

3.6. अपराध शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं महत्व (4 कालॉश)
- अपराध शास्त्र का सामान्य अर्थ
- अपराध शास्त्र की स्थापित परिभाषाएं
- अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र–अपराध की प्रकृति, अपराधी का व्यक्तित्व, अपराधिक व्यवहार के कारण, अपराध नियंत्रण, अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वासन
- अपराध शास्त्र का महत्व– कारागार के सन्दर्भ में

3.7. अपराध का अर्थ एवं परिभाषा (2 कालॉश)
- अपराध के बारे में सामान्य प्रचलित धारणा
- अपराध की परिभाषाएं
- वैधानिक दृष्टिकोण में अपराध की परिभाषा
- सामाजिक (समाज शास्त्रीय) दृष्टिकोण से अपराध की परिभाषा
- अपराध के आवश्यक तत्व

3.8. अपराधिक व्यवहार के कारण (4 कालॉश)

अपराध के कारणों के संबंध में अपराध शास्त्र में उल्लेखित सभी विचारधाराएं
- पूर्व शास्त्रीय विचारधाराएं
- शास्त्रीय विचारधारा
- नवीन शास्त्रीय विचारधारा
- परिस्थितिकीय विचारधारा
- प्रारूपवादी विचारधारा

- समाज शास्त्रीय विचारधारा

3.9. अपराध के कारण (3 कालॉश)

- जैविक, वंशानुक्रमण, मनोवैज्ञानिक, मद्यपान, आर्थिक, पारिवारिक, पारिवारिक दशायें, सभाजशास्त्रीय, अश्लील साहित्य व चलचित्र प्रतिद्वन्दिता, यौन

3.10. अपराध के प्रकार (2 कालॉश)

- श्वेत वस्त्रधारी अपराध, संगठित अपराध, पेशेवर अपराध
- विभिन्न वर्गीकरण
- साधारण अपराधी (निर्धन), श्वेत वस्त्रधारी अपराधी
- परिस्थितिजन्य अपराध, नियोजित अपराध, विश्वासघातक अपराध
- प्रथम अपराधी, आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी, पेशेवर अपराधी

3.11. दण्ड की परिभाषा एवं महत्व (4 कालॉश)

- दण्ड का सामान्य अर्थ,दण्ड की परिभाषाएं
- दण्ड के उद्देश्यों के संबंध में प्रमुख विचारधाराएं

दण्डात्मक विचारधारा, प्रतिरोधात्मक विचाराधारा, सुधारवादी विचारधारा

- दण्ड के सामान्य उद्देश्य

समाज की सुरक्षा, प्रायश्चित या पश्चाताप, प्रतिशोध,भय उत्पन्न करना, क्षतिपूर्ति, कानून का प्रवर्तन, सुधार एवं पुनर्वासन

- दण्ड के सिद्धान्त

प्रायश्चित का सिद्धान्त, प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त, प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त, निरोधात्मक सिद्धान्त, सुधारवादी सिद्धान्त

3.12. बंदी मनोविज्ञान एवं निरुद्धीकरण का प्रभाव (3 कालॉश)

- व्यवस्था पर निर्भरता तथा स्वविवेक का क्षरण
- अति सतर्कता तथा संदेह की मनोवृत्ति
- भावनाओं का अति नियंत्रण तथा मनोवैज्ञानिक अलगाव
- सामाजिक निर्लिप्तता
- कारागृह की संस्कृति का आत्मसात् होना
- अलग पहचान की समाप्ति

3.13. परिवीक्षा की सामान्य जानकारी (1 कालॉश)

- परिवीक्षा का शाब्दिक अर्थ, परिवीक्षा की परिभाषाएं,
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रमुख प्रावधान
- अपराधी सुधार की एक न्यायिक पद्धति के रूप में परिवीक्षा का महत्व

3.14. पैरोल (कारावास कालीन अवकाश) (1 कालॉश)

- पैरोल की परिभाषा
- नियमों के अन्तर्गत पैरोल से संबंधित समितियों का संगठन
- पैरोल के प्रकार–नियमित, आपात्कालीन, स्थायी पैरोल
- पैरोल की पात्रता/अपात्रता

- नियमित पैरोल की अवधि एवं प्रक्रिया
- संकटकालीन पैरोल के प्रमुख आधार एवं प्रक्रिया
- पैरोल स्वीकृति के संबंध में अधीक्षक/जिला कलेक्टर/महानिदेशक कारागार के अधिकार
- पैरोल शर्तों के उल्लंघन पर दण्ड व्यवस्था
-

3.15. उत्तर संरक्षण सेवाएं (3 कालॉश)

- सामान्य जानकारी
- उत्तर संरक्षण सेवाओं का सामान्य अर्थ
- व्यावसायिक पुनर्वासन–संस्तुति पत्र जारी करना, व्यवसाय दिलाना, ऋण दिलाना, रोजगार आदि के लिए विशेष छूट प्रदान करना, उत्पादन की खपत के लिये संगठन, औद्योगिक ईकाइयॉ
- सामाजिक पुनर्वासन– उत्तर संरक्षण आवास, विधि संबंधी सहायता, परामर्श एवं निर्देशन, परिवार एवं विवाह, समाज का सुधार

4. आचरण एवं सेवा शर्तें (कुल कालॉश : 45)

4.1. व्यक्तित्व विकास (2 कालॉश)

4.2. नैतिक मूल्य एवं आचरण (2 कालॉश)

4.3. सेवा के परिलाभ (5 कालॉश)

- परिवीक्षा काल प्रशिक्षण, स्थाईकरण, पदोन्नति, सेवा निष्कासन (कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के सन्दर्भ मे)
- वेतन, देय भत्ते, वेतन वृद्वि से संबंध में जानकारी।
- राजस्थान सेवा नियम 86 की सामान्य जानकारी।
- सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें किये जाने योग्य इन्द्राजात
- पेंशन
- ऋण एवं अग्रिम भत्ते (स्थानान्तरण एवं योग काल, यात्रा भत्ता) भरने का व्यावहारिक ज्ञान

4.4. पुरस्कार एवं दण्ड (2 कालॉश)

- प्रहरी द्वारा किये जाने वाले प्रशंसनीय कार्य व उनके संबंध में पारितोषिकों की जानकारी
- अनुशासनहीन कृत्य एवं दुराचरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही (राज0 सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के सन्दर्भ में)

4.5. अधिकारियों से बातचीत एवं व्यवहार की जानकारी तथा प्रेस से संपर्क (1 कालॉश)

4.6. सी0पी0एफ0, राज्य बीमा, राष्ट्रीय बचत योजना, मेडिकल बीमा बचत योजनाओं की जानकारी (2 कालॉश)

4.7. विभिन्न सेवा संबंधी कानून एवं अधिनियम (4 कालॉश)

- सूचना के अधिकार एवं ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की सामान्य जानकारी
- रेस्मा एक्ट (राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेज एक्ट)
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

4.8. विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं उनके नियमों की पूरी जानकारी, सेवा में व्यवधान क्या है एवं उसका प्रभाव (1 कालॉश)

4.9. राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम (4 कालॉश)

- नियम 4 – अनुचित व अशोभनीय आचरण।
- नियम 4क – सरकारी आवास का अनाधिकृत उपयोग
- नियम 7 – राजनीति व चुनावों में भाग लेना
- नियम 9 – प्रदर्शन तथा हड़तालें
- नियम 18 – निजी व्यापार या नियोजन
- नियम 21 – चल–अचल सम्पति का मूल्यांकन
- नियम 26 – नशीले पेय या औषधि का प्रयोग

5. संविधान, न्याय–व्यवस्था, मानवाधिकार एवं बंदी कल्याण (कुल कालॉश : 45)

5.1. न्याय व्यवस्था (4 कालॉश)

- संविधान एवं मौलिक अधिकार
- अपराधिक न्याय व्यवस्था

5.2. मानव अधिकार (3 कालॉश)

- मानव अधिकार की अवधाणा एवं पृष्ट भूमि
- मानवाधिकारों में सयुंक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका (मानव अधिकार घोषणा पत्र 10 सितम्बर 1948 आर्टिकल 1 से 30)

5.3. बंदियों को निरुद्ध रखने के अन्तर्राष्ट्रीय मानक तथा उनकी राज्य के कारागृहों में स्थिति (3 कालॉश)

- मानवाधिकार नियम 1993 की सामान्य जानकारी
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय
- प्रांतीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय
- मानवाधिकार न्यायालय

5.4. अभिरक्षा अन्तर्गत अपराध और मानवाधिकार (4 कालॉश)

- राजस्थान बंदी (न्यायालय में हाजरी) अधिनियम, 1956
- बंदी अधिनियम 1894 में मानवाधिकार की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान विशेष रूप से धारा–24,27,29 अध्याय आदि
- हिरासत में मृत्यु
- बंदियों को देय रेमीशन/बंदी रिहाई/खुले बंदी शिविर भेजने आदि के बारे में राजस्थान कारागार नियम 1951 व अन्य कारागार नियमों व अधिनियमों में मानवाधिकारों के सुरक्षा संबंधी उल्लेख
- बंदियों के धार्मिक विश्वास आदि के बारे में नियम और निर्देश तथा उनका कियान्वयन

5.5. बंदी सुधार का महत्व एवं तरीके ([illegible] कालॉश)

- सुधारात्मक व्यवस्थायें
- कारागार में खेल सुविधाएं
- कारागार में अध्ययन की व्यवस्था
- कारागार में मनोरंजन व्यवस्था
- उद्योग शाला
- व्यवसायिक प्रशिक्षण
- नवाचार तथा देश/विदेश में श्रेष्ठ अनुकरणीय (बेस्ट प्रिजन प्रक्टिसेस)

5.6. कारागार में बंदियों को जेल दण्ड दिये जाने व हथकड़ी लगाये जाने एवं अन्य तरह से व्यवहार करने में विभिन्न नियम व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (3 कालॉश)

5.7. कारागार प्रशासन में दर्शकों व स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका (2 कालॉश)

6. स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा (कुल कालॉश : 20)

- व्यक्तिगत् साफ–सफाई का महत्व एवं उसमें ध्यान देने योग्य बिन्दु
- कारागृह में बंदियों की व्यक्तिगत् साफ–सफाई में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईया एवं उनका निराकरण
- पौष्टिकता, आहार एवं विशेष आहार

- कारागृहों में चिकित्सा व्यवस्थाएं
- सामान्य एवं आपात् व्यवस्थाएं
- कारागृहों में सामान्य बीमारियॉं, उनके लक्षण, कर्मचारियों की भूमिका और उनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही
- मादक पदार्थ के आदी बंदी
- मानसिक रूप से बीमार
- आत्महत्या की संभावना
- छूत की बीमारियॉं
- हैजा, पीलिया, उल्टी–दस्त, मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप, निमोनिया, कैंसर, दॉंतों की बीमारियॉं, ऑंखों की बीमारियॉं, चोट लगना, सॉंप/बिच्छू का का. टना
- गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिये विशेष व्यवस्थायें
- तनाव के कारण एवं नियंत्रण का महत्व व तरीका

/ कम्प्यूटर उपयोग (कुल कालॉंश : 80)

A. सैद्धान्तिक ज्ञान (5 कालॉंश)

- कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सी.पी.यू., मॉनीटर, की बोर्ड और माउस की जानकारी
- सॉफ्टवेयर एवं उसका महत्व, सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ज्ञान
- एन्टी वायरस एवं फायरवाल का महत्व
- इन्टरनेट एवं ब्राउज़र का परिचय
- कम्प्यूटर नेटवर्क LAN, WAN का परिचय और उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण
- वाई फाई, लीज लाईन, ब्रॉड बैण्ड, मोडम की जानकारी

B. व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) प्रशिक्षण

- कम्प्यूटर का उपयोग–5 कालॉंश
  एम.एस.वर्ड एवं एम.एस.एक्सल, e-mail Outlook express (15 कालॉंश)
- PMS Software (20 कालॉंश)
- VMS Software (10 कालॉंश)
- प्रणाली में समस्या निवारण (05 कालॉंश)
- कम्प्यूटर की देखरेख
- LAN की देखरेख
- UPS की देखरेख